न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
02 / 318	31.07.02024	09.01.2025

उनवान

01. कुर्शीदन उर्फ खुर्शीदन पुत्री सुबेदार पत्नि रहमान जाति मेव निवासी ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर हाल वासी बीनजारी तह0 रैणी जिला अलवर

............................वादनी / प्रार्थीया

बनाम

01. रफीक खान
02. सफेदा खान
03. साहून खां
04. साहबदीन
05. कुर्शीद खां पुत्रान सुबेदार
06. अतैया पुत्री सुबेदार
07. गेफोदी पत्नि स्व. सुबेदार
08. हसीना पुत्री सुबेदार जाति मेव निवासी धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर
09. उपपंजीयक नौगांवा जिला अलवर

............असल प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0

निर्णय

प्रार्थीया कुर्शीदन उर्फ खुर्शीदन पुत्री सुबेदार पत्नि रहमान जाति मेव निवासी ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर हाल वासी बीनजारी तह0 रैणी जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 338 रकबा 1.29 हे0, 341 रकबा 1.30, 342 रकबा 0.24, 343 रकबा 0.51, 3.44 रकबा 0.57, कुल किता 5 रकबा 3.91 हे0 जिसका खाता खख्या 313 है जो आराजी वाके ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी दावा व दरख्वास्त हाजा में विवादित आराजी है और विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की जा रही है। उक्त विवादित आराजी वादनी व असल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

[खा]तेदारी की आराजी है जिस आराजी पर वादनी व असल प्रतिवादीगण का जमाबन्दीनुसार हिस्सा [illegible] अपने अपने हिस्से मे आई आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है [illegible] कि [illegible] मे अबट आराजी है जिसका अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसी प्रकार अपने हिस्सा [पर] काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। वादनी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है तथा वादनी व असल प्रतिवादीगण ने मौखिक बंटवारा करते हुये अपने अपने हिस्से पर काबिज है और वादनी के हिस्से मे आई आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा व सबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है। अब असल प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आ रही है और वह वादनी को उसका हिस्सा की आराजी को देना नही चाहते है और वादनी के हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते है और बिना बटाये आराजीयात का बेचान करने की जूस्तजू में है जो कि आये दिन मौके पर भू माफिया लोगो को लेकर आ रहे है जिस पर मिन वादनी ने अपना हिस्सा असल प्रतिवादीगण से अलग करने के लिए कहा तो असल प्रतिवादीगण टाल बाल करते रहे तथा उक्त विवादित आराजी मे वादनी व असल प्रतिवादीगण का कानूनन हक व हिस्सा है और असल प्रतिवादीगण का उक्त विवादित आराजीयात मे से वादनी के हिस्से से कोई सबध वो सरोकार नही है।

असल प्रतिवादीगण विवादित आराजी को बिना वादनी का हिस्सा दिये व बिना बटाये आराजी को बेचान करने की जूस्तजू मे है और वादनी के हिस्से की आराजी को हडप करने की जूस्तजू में है जिस कारण असल प्रतिवादीगण वादनी के साथ झगडा फिसाद कर विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते है व उक्त आराजी में से कोई हिस्सा देना नही चाहते है और असल प्रतिवादीगण आराजीयात को बेचान करने की जूस्तजू में है। अब वादनी जब अपनी आराजी को काश्त कर रहे थे तो दिनांक 25.07.2024 को प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर आये और वादनी को जबरन [बेद]खल करने को उतारू हो गये और वादनी ने ऐतराज किया और विवादित आराजी मे से वादनी का हिस्सा प्रतिवादीगण से अलग करने व तक्सीम आराजी किये जाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि विवादित आराजी मे कोई बंटवारा नहीं करेगे बल्कि बिना बंटाये आराजी का बेचान कर देगे और तुमको चैन से काश्त करने नही देगे और वादनी को आराजी से बेदखल कर देगे। हम कोई बंटवारा नहीं करते जिस पर वादनी ने ऐतराज किया और कहा कि उक्त आराजी मे वादनी का जमाबन्दीनुसार हक व हिस्सा है तो प्रतिवादीगण ने ऐलानिया यह कहा कि मै उक्त आराजी से वादनी को जबरन बेदखल कर देगे ओर अगर तुमने कोई दावा व कार्यवाही की तो विवादित आराजी को किन्ही ऐसे दिगर शख्सों को रहन,वय,हिव्या आदि के मुन्तिकिल मकफुल कर देगें। वादनी हमारा कुछ नही बिगाड सकती और चूंकि प्रतिवादीगण अपनी आदत से बाज नही आ रहे है और दावे की तजवीज में समय लगने की सम्भावना है और अगर दौरान दावा उन्होने ऐसा कर दिया तो वादनी को नाहक मुकदमा वाजी में फंसाना पडेगा और ऐसा भारी नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रूप्यो मे व हककों में न तो हो सकेगी और ना ही आंकि जा सकेगी जो नापूर्ति होने वाली अपार हानि होगी। जबकि मौके की रुह से व कागजात माल जमावन्दी से प्राईमाफैसाई कैस व सुविधा का सन्तुलन वादनी के पक्ष में है और प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द न किये जाने से अपार हानि भी वादनी को होना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा प्रतिवादीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर मुतजिकरा पेरा संख्या 2 अर्जी दावा वाके ग्राम धनेटा तह. नौगांवा जिला अलवर राज0 मे है में वादनी के हिस्से जमाबन्दीनुसार पर कब्जे काश्त मे

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

बिनाये काश्तकारी फसल बोने काटने वगैरह मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करे व तकसीम कराये उपरोक्त आराजी को किसी गैर व्यक्तियों को जो [illegible] हो को बैय.रिवाजेनुसार मुन्तिकल व मकफूल न करे व वादनी को जबरन बेदखल न करे और जबरन नी के हिस्से मे कोई कब्जा न करे और आराजी का उपयोग व उपभोग करने मे व काश्त श्तकारी करने मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करे व मौके व राजस्व रिकॉर्ड की थास्थिति बनाये रखे और ऐसा करने से बाज आवे। व प्रतिवादीगण सं0 9 को पाबंद किया जावे कि ह उक्त विवादित आराजीयात की बाबत किसी प्रकार बयनामा दानपत्र, मुख्त्यारनामा व इत्यादि कार के कोई भी दस्तावेज तस्दीक न करे। व अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे वादी दिलाये जावे।

वादनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर असल प्रतिवादीगण को जर्ये टिस तलब किया। असल प्रतिवादीगण ने जर्ये अभिभाषक की ओर से न्यायालय मे प्रार्थना पत्र के बंध मे जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि चरण सं0 1 में केवल इतना स्वीकार है उक्त अनुवानी दावा अदालत श्रीमान मे पेश किया गया है। शेष तथ्य गलत है स्वीकार नही है। दावे मे प्रार्थीया को सफलता की आशा करना स्वप्न मात्र है। दावा गलत, मिथ्या व निराधार पेश किया या है जो हर सूरत मे काबिल खारिज है तथा दावे के तथ्य प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने का कोई नूनी प्रावधान नही है। चरण सं0 2 इस हद तक स्वीकार है कि जिमन हाजा मे दर्ज आराजी खसरा 0 338 रकबा 1.29 हे0, 341 रकबा 1.30, 342 रकबा 0.24, 343 रकबा 0.51, 344 रकबा 0.57, कुल कता 5 रकबा 3.91 हे0 ग्राम धनेटा तहसील नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। शेष तथ्य गलत है वीकार नही है। क्योंकि प्रार्थीया ने खिलाफ कानून व बिला अधिकार दावा दायर करके उक्त आराजी को विवादित दर्ज किया है। चरण सं0 3 में जिस तरह वर्णित किया है गलत है स्वीकार नही है। [redacted]या शुद्ध हस्तों से अदालत श्रीमान में नही आई है तथा उसने वराय बदयांति वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मौजूदा मुकदमा दायर किया है। क्योंकि सही तथ्य यह है कि विवादित आराजी में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा किसी तरह का नही है न उसका कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर है। क्योंकि विवादित आराजीयात में प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा था तथा वह अपने 1/9 हिस्से का हक त्याग बाकायदा जरिये पंजीकृत दस्तावेज हकत्याग पत्र दिनांक 15.07.2024 मिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जो कि प्रार्थीया के खास भाई है, के पक्ष में कर चुकी है। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थीया द्वारा हकत्याग पत्र निष्पादित करने से पूर्व दिनांक 12.07.2024 को प्रार्थीया की खास बहिनों अर्थात मन अप्रार्थी संख्या 6 अतैया द्वारा भी अतैया, अप्रार्थी संख्या 7 गेफोदी, अप्रार्थी संख्या 8 हसीना ने भी अपने हिस्से का हकत्याग अपने भाईयों अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में विधिवत रूप से कर दिया था। ताईद में हर दो हकत्याग पत्रों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत है। उपरोक्त प्रकार से विवादित आराजी मिन अप्रार्थी सं0 6 लगायत 8 का भी कोई हक हिस्सा कब्जा काश्त आदि किसी तरह का नही है तथा मिन अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 को मुकदमें हाजा में कतई अनावश्यक व बेजा पक्षकार बनाया गया है जिनका नाम मुकदमें हाजा से डिलीट किए जाने योग्य है। विवादित आराजी तन्हा रूप से मिन अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 5 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया विवादित आराजी से गैरकाबिज व गैरवारत्ता है, इसलिए दावा प्रार्थीया काबिल खारिज है।

चरण सं0 4 जिस तरह वर्णित किया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीया का विवादित आराजी में कोई हक हिस्सा ही किसी तरह का नही है तो मौखिक बंटवारे का सवाल ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया ने अंकित नही किया है कि यदि मौखिक बंटवारा हो गया तो कौन कौन कहां कहां

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

फैसे किस तरफ काबिज है। मिन अप्रार्थीगण के मन में किसी तरह की बदयानि न तो है न आगे कोई प्रश्न पैदा होता है। विवादित आराजी में प्रार्थीया का न तो कोई हिस्सा है न उसका कहीं कब्जा है। इसलिए प्रार्थीया को बेदखल करने का सवाल ही पैदा नही होता है। तमाम तथ्य बराय बदयानि जानबूझकर गलत प्रकार से दर्ज किए गए है। प्रार्थीया कानूनन मजाजदायी नही है तथा प्रार्थीया ने वास्तविक तथ्यो को छिपाते हुए दावा दायर किया है। चरण स0 5 गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीया एक तरफ तो विवादित आराजी का मौखिक बंटवारा होने का कथन कर रही है तो दूसरी ओर जिमन हाजा में यह कथन कर रही है कि बिना बंटाये आराजी को अप्रार्थीगण बेचान करने की जुस्तजू मे है। इस तरह प्रार्थीया के कथन परस्पर विरोधाभासी है। प्रार्थीया विवादित आराजी से गैरकाबिज गैरवास्ता है इसलिए उसे बेदखल करने का व उससे किसी तहत का झगडा फिसाद करने का सवाल ही पैदा नही होता है। चरण सं0 6 गलत है स्वीकार नही है। इस चरण में दिनांक 25.07 2024 की कहानी मनघडन्त रूप से महज दावा दायर करने के लिए दर्ज की गई है। जबकि उक्त दिनांक को मिन अप्रार्थीगण की प्रार्थीया से कोई बातचीत तक नही हुई तथा प्रार्थीया उस दिन अपने ससुराल में ही थी तथा गांव धनेटा में आई ही नही। इसलिए प्रार्थीया से किसी तरह की बातचीत होने का सवाल ही पैदा नही होता है। वैसे भी प्रार्थीया का आराजी मुतनाजा में कोई हक हिस्सा किसी तरह कर नही है। इसलिए प्रार्थीया को किसी तरह का नुकसान होने का सवाल ही पैदा नही होता है तथा वह किसी तरह से मिन अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने की अधिकारी नही है। प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन किसी तरह से आयद व साबित नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिज खारिज है। अंतिम बिना नंबरी चरण बाबत प्रार्थना है। प्रार्थीया जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मिन अप्राथीगण को पाबंद कराने हेतु कोई अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नही है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद भी नही किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया हर सूरत में मय विशेष हर्जा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने वादनी पक्ष के विद्वान वकील की बहस सुनी गयी। वादनी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया कि उक्त विवादित आराजी दादालाई सम्पत्ति है जो पिताजी के इंतकाल के बाद प्राप्त हुई थी। वादनी से जबरदस्ती तहसील में हकत्याग लिखवा लिया गया था। उक्त हकत्याग के निरस्तीकरण बाबत दावा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधिश रामगढ के कर रखा है। मेरे भाई मेरे भात छुछक आदि नही भरते है तथा बात भी नही करते। वादनी तहसील में पृथक से गयी थी। वादनी से हकत्याग निःशुल्क करवा लिया था। दिनांक 27.07.2024 को वादनी द्वारा अपने भाईयो से बातचीत की थी। वादनी का हिस्सा देने से इंकार कर दिया। जानकारी देरी से प्राप्त होने पर वादनी उक्त बाबत श्रीमान के न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया है। वादनी के साथ धोखाधडी हुई है।

इसी प्रकार अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गयी। अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में अंकित किया कि दिनांक 05.07.2024 को वादनी व दूसरी बहनो के द्वारा सगे भाईयो के नाम हकत्याग किया था। उक्त दावा वादनी द्वारा दिनांक 31.07.2024 को श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक किसी प्रकार की FIR दर्ज नही है। जिससे वादनी के इस वाद में अधिकार तय नही होते है। वादनी द्वारा अप्रार्थीगण के जवाब पेश होने के बाद हकत्याग निरस्तीकरण का वाद माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना अवगत कराया है। वादनी का केवल उक्त आराजीयात का इंतकाल रोकना मात्र मकसद है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की वहस पर मनन किया इसके उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विधिवत रूप से हकत्याग किये जाने के उपरान्त प्रार्थी के आराजी पर कोई हक हकुक निहित नही रह जाते और इस प्रकार से अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के लिए अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है तथा पत्रावली के अनुसार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 31.07.2024 से जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखित दफतर हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर